एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3830/2007
कल्याण एवं विकास समिति, मदर टेरेसा नगर ग्राम सवाई गेटोर व अन्य
बनाम
जयपुर डवलपमेन्ट आथोरिटी जयपुर व अन्य

23.5.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री ए.सी.उपाध्याय, अधिवक्ता याचीगण की ओर से।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

इस याचिका के माध्यम से याचीगण ने उपायुक्त जोन-4, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आदेश दिनांक 21.4.2007 को चुनौती दी है, जिसमें उन्होनें पूर्व में उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2002 अन्तर्गत धारा 90बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के बाबत अयाचीगण की ओर से दिनांक 13.2.2003 को प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका पेश करने में हुई 13 दिवस की देरी को अल्प मानते हुए याचीगण द्वारा इस बाबत प्रस्तुत आपित्त को निरस्त कर दिया था। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मर्यादा अधिनियम की धारा 3 व 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी को देरी के आधार पर पुनर्विचार याचिका निरस्त करनी चाहिये थी।

प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि याचीगण ने पूर्व में अयाचीगण की ओर से प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.3.2003 के विरुद्व संभागीय आयुक्त के यहां अपील की थी, जिन्होनें प्रकरण को पुन: प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष विलंब के बिन्दु पर विचार करने हेतु प्रतिप्रेषित किया था।

मेरी राय में प्रकरण में हुई देरी को अत्यधिक विलंब नहीं माना जा सकता एवं दोनों पक्षों के लिये यह उचित होगा कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर तथ्यों के आधार पर करवाये। यदि कोई निर्णय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नये सिरे से लिया जाता है और वह निर्णय किसी भी पक्ष

के विरुद्व जाता है तो दोनों में से कोई भी पक्ष उसके विरुद्व अपील करने का उपचार रखता है। प्राधिकृत अधिकारी यदि पूर्व में पारित किसी आदेश पर पुन: विचार करते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि इस बाबत वे विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण का निर्णय करेंगे।

यह याचिका इस प्रकार निस्तारित की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति